2.2

संख्या–774/ III–2/06–13(प्रा.आ.)/06

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक28 मार्च, 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में 50(पचास) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 50 कार्यों के रूपये 5250.15 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी 50 कार्यों पर रूपये 4966.85 लाख (रूपये उनचास करोड़ छियासठ लाख पिचासी हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम–06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 0.50 लाख (रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी।
5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।
10. कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शा0सं0–452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 एवं उनके द्वारा समय–2 निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0 नि0 वि0
बेरीनाग(पिथौरागढ़)

वाहक द्वारा

SE अल्मोड़ा – कृ. इस शासनादेश की प्रति तत्काल कु. क्षे. के खण्डों को FAX/वाहक से उपलब्ध करा देवें।

28.3.06

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को सर्मपित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ—साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक— 31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005—06 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या—22 लेखाशीर्षक—5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय —04 जिला तथा अन्य सड़के—आयोजनागत—800—अन्य व्यय —03 राज्य सेक्टर —02 नया निर्माण कार्य—24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग—2 के अशासकीय संख्या—यू.ओ.—800/XXVII (2)/2005 दिनांक 28 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः— 50 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या—774(1)/III—2/05,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमांयू मण्डल, पौडी /नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल /कुमांयू क्षेत्र, लो.नि.वि., पौडी/अल्मोड़ा ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग—2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग—1/3 उत्तरांचल शासन ।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
सयुक्त सचिव।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0 नि0 वि0
बेरीनाग(पिथौरागढ़)

पत्रांक 814/2 दिनांक 3/4/06

प्रतिलिपि ... सहायक अभियन्ता ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

GO-1394

2.2

शासनादेश संख्या—774 / 111(2) / 06—13(प्रा.आ.) / 06 दिनांक 28 मार्च, 2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी.ए.सी. वित्त द्वारा आकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2005—06 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	पिथौरागढ़ में संगौड़ नायल बन्तोली मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	108.45	72.50	0.01
2.	पिथौरागढ़ के अन्तर्गत हलियाहोब—लछीमा—ओखरानी— नाचनी मोटर मार्ग का विस्तार	10.00	178.00	178.00	0.01
3.	पिथौरागढ़ में धपोला सेरा—बांस पटान मोटर पर किमी. 1—3 तक मोटर मार्ग निर्माण	...	12.33	12.28	0.01
4.	जनपद टिहरी में चम्बा नई टिहरी मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं सुधार कार्य	10.00	339.55	339.54	0.01
5.	चमोली में सरमोला—कुमेडा—रानों गौचर मोटर मार्ग निर्माण कार्य	15.00	229.68	229.68	0.01
6.	पौड़ी में सतपुली—एकेश्वर मोटर मार्ग के स्थान बडोली बैण्ड से ग्राम नगरोली, धटगड आदि ग्रामों से होते हुए ग्राम नावा तक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी मोटर मार्ग का नव निर्माण	6.00	103.50	103.50	0.01
7.	जनपद हरिद्वार में सराई—दिनारपुर, सुभाशगढ, ऐथल बसेरी मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	21.00	224.90	220.60	0.01
8.	नैनीताल में भीडापानी से नाई तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	7.00	149.80	149.80	0.01
9.	नैनीताल में तल्ला मल्ला ओखलकाण्डा मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	35.40	35.40	0.01
10.	नैनीताल में राजकीय इन्टर कालेज बानना से बदौडा बानना जगलियागांव मोटर मार्ग तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य	—	124.70	69.50	0.01
11.	नैनीताल में अमृतपुर बानना बबियाड मोटर मार्ग किमी0 10 से 13 तक मार्ग का डामरीकरण	—	57.20	57.20	0.01
12.	हल्द्वानी में बरेली रोड ग्रामीण क्षेत्र आन्तरिक सम्पर्क मार्गो का निर्माण	4.00	56.80	56.80	0.01
13.	हल्द्वानी में गौलापार ग्रामीण क्षेत्र आन्तरिक सम्पर्क मार्गो का निर्माण	4.00	56.80	56.80	0.01
14.	जनपद उत्तरकाशी के सिलक्यारा—बनगॉव—बनचौरा मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य (किमी. 2 से 8)	7.00	105.70	105.70	0.01

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0 नि0 वि0
बेरीनाग(पिथौरागढ़)

GO-1395

46.	लालकुंआ आन्तरिक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2.00	28.20	28.20	0.01
47.	चोरगलिया ग्रामीण क्षेत्र के आन्तरिक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	2.00	28.20	28.20	0.01
48.	ग्राम सभा देवलचौड बन्दोबस्ती आन्तरिक मार्ग का निर्माण	6.00	84.60	84.60	0.01
49.	रामपुर रोड पन्चक्की से नहर के समान्तर हुंडयो शोरूम रामपुर रोढ सम्पर्क मार्ग का निर्माण	1.00	14.10	14.10	0.01
50.	रामपुर रोड देवलचौड चौराहे से गौरापडाव रामपुर रोड तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	3.00	42.30	42.30	0.01
	कुल योग		5250.15	4966.85	0.50

(रूपये पचास हजार मात्र)

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0 नि0 वि0
बेरीनाग(पिथौरागढ़)

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।